राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बाबूलाल बनाम बरखा

तारीख हुक्म	769/2023, 768/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधिस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तरिम आदेश दिनांक 12/08/2022 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/01/2023 पारित करते हुए ताफैसला वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/01/2023 पारित करते हुए तहसीलदार तुंगा को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13, 13/1, 13/2, 13/3, 85/1, 85, 85/10, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86 कुल किता 16 कुल रकबा 3.9833 हैक्टेयर स्थित ग्राम देवगाँव तहसील तुंगा जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर एवं विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/01/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 768/2023 बाबूलाल बनाम बरखा एवं वाद में पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/01/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 769/2023 उनवानी बाबूलाल बनाम बरखा इस न्यायालय के समक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपीलों पर इकजाई रूप से सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह दोनों प्रश्नाधीन अपीले करीबन 7 माह की देरी से मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। मियाद के बिन्दु पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा करीबन 7 माह की डिले कन्डोन करवाने हेतु सरसरी तौर पर तथ्य अंकित किये गये है, जबकि विधि के प्रावधानों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अनुसार दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट कारण अंकित किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही करने पर अपीलार्थी करीबन 7 माह की देरी को कन्डोन करवाने के अधिकारी नही रह जाते है | इसके अतिरिक्त अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है एवं साथ ही चूँकि विचाराधीन प्रकरण विभाजन का है ऐसेमें सहखातेदारान के मध्य विभाजन होने तक प्रश्नाधीन भूमि की यथास्थिति को बनाये रखा जाना न्यायोचित्त होता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां नही बढ़े | ऐसेमें प्रार्थना पत्र संख्या 145/2022 पर पारित अपीलाधीन आदेश उचित प्रतीत होता है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/01/2023 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 145/2022 पर पारित आदेश दिनांक 23/01/2023 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश:769/2023 व 768/2023 मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर